सं0–369/xxviii (3)2005–179/2002

प्रेषक,

अर्जुन सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल, देहरादून

चिकित्सा अनुभाग–3 देहरादून: दिनांक : 23 मार्च, 2005

विषयः जिला चिकित्सालय रूद्रप्रयाग के निर्माणाधीन भवन निर्माण को पूर्ण करने हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–75 /1/जिला चिकित्सालय /78/2001/3033 दिनांक 18.02.2005 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या 1175/चि0–3–2004–179/2002 दिनांक 10.01.2003 संख्या–53/चि0–3–2004–179/2002 दिनांक 11.2.2004 तथा शासनादेश संख्या 720/xxviii(3) 2004–179/2002 दिनांक 22 .11 2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2004–05 में जिला चिकित्सालय रूद्रप्रयाग के निर्माणाधीन भवन को पूर्ण करने हेतु संलग्नानुसार रू0 98,16,000.00 (रू0 अठानबे लाख सोलह हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– प्रत्येक कार्य पर धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकि स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा तथा कार्य की अनुमोदित लागत तक ही रखा जाएगा।

3– उक्त धनराशि कोषागार से तत्काल आहरित की जायेगी तथा निर्माण इकाई उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, श्रीनगर गढ़वाल को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भतीर सुनिश्चित किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित बाउचर संख्या व दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

5– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों एवं बजट मैनुअल व शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा। स्वीकृति संबंधी मूल शासनादेश की सभी शर्ते यथावत रहेगी ।

6– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में प्रत्येक माह की 07 तारीख तक शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

7– धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जाए।

8– धनराशि उसी मद मे व्यय की जाए जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है।

9– उक्त व्यय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या –12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय – आयोजनागत –01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें –110 अस्पताल तथा औषधालय –10–नये जनपद बागेश्वर, चम्पावत तथा रूद्रप्रयाग में जिला चिकित्सालय का निर्माण 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

10 यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0 1831/वित्त अनुभाग–2/2004 दिनांक 20.3.05 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( अर्जुन सिंह )
संयुक्त सचिव

पृ0सं0–369/xxviii (3)2005–179/2002 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
4– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग ।
5– मुख्य चिकित्साधिकारी, रूद्रप्रयाग।
6– अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम श्रीनगर गढ़वाल ।
7– निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री।
8– वित्त अनुभाग–2/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.।
9– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

( अर्जुन सिंह )
संयुक्त सचिव

शासनादेश सं0–389 / xxviii (3)2005–179 / 2002 दिनांक 23.5.05 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

| क्र.सं. | उपकेन्द्र का नाम | लागत | पूर्व में स्वीकृत धनराशि | वर्ष 2004-05 में स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जिला चिकित्सालय रूद्रप्रयाग का भवन निर्माण। | 315.16 | 217.00 | 98.16 |

(रू0 अठानवे लाख सोलह हजार मात्र)

( अर्जुन सिंह )
संयुक्त सचिव